



2026:AHC-LKO:10146-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक रिट - जनहित याचिका संख्या - 1 सन 2026**

सुमित पांडे

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह एवं 21 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	ईशान कुमार गुप्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शाशकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अभ्देश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ईशान कुमार गुप्ता को और विद्वान शाशकीय अधिवक्ता डॉ. वी.के. सिंह को प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र शिवम सिंह राठौर की सहायता से सुना गया।
3. याचिकाकर्ता, जो कानून का छात्र है, ने इस रिट याचिका में उल्लिखित राहतों की मांग करते हुए इसे दायर किया है, हालांकि, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, जमानत प्रदान करने की नीति रणनीति के संबंध में** लंबित कार्यवाही की जानकारी नहीं है। उसे सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही और उसमें पारित आदेशों/निर्णयों के बारे में पता लगाना चाहिए, जिसमें इस याचिका में उठाए गए मुद्दे और उनसे संबंधित मामले शामिल हों। यदि मामला अभी भी बना रहता है, तो उसे जनहित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिका (पीआईएल) दायर करनी चाहिए और ऐसा करते समय उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत का प्रावधान इस रिट याचिका में वर्णित जटिल प्रावधान जैसा न हो।

4. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, हम इस जनहित याचिका का निस्तारण करते हैं।

[न्यायमूर्ति अभ्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 10, 2026

आर.के.पी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।